

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर, यातायात शाखा द्वारा जनहित में प्रसारित

सड़क शिष्टाचार

- क्या आप जानते हैं कि पैदल चलने वाले नागरिकों को प्राथमिकता देना सड़क शिष्टाचार है।
- क्या आप जानते हैं कि रात्रि में लो बीम लाईट का प्रयोग करना सड़क शिष्टाचार है।
- क्या आप जानते हैं कि वाहन जो आप से पहले सड़क पर चल रहा है उसे प्राथमिकता देना सड़क शिष्टाचार है।
- क्या आप जानते हैं कि मोड़ व क्रोसिंग पर धीरे चलना सड़क शिष्टाचार है।
- क्या आप जानते हैं कि दांयी व बांयी ओर तथा सामने के वाहन से सुरक्षित दुरी रखना सड़क शिष्टाचार है।
- क्या आप जानते हैं कि चौराहों पर लाल बत्ती के समय पहले से ही खड़े वाहनों को पहले जाने देना सड़क शिष्टाचार है।
- क्या आप जानते हैं कि ट्रेफिक सिग्नल पर भिखारियों को देकर प्रोत्साहित न करना सड़क शिष्टाचार है।
- क्या आप जानते हैं कि यातायात नियमों का पालन करना आपके चरित्र का परिचायक है।

फोन: 0291-2650729, 2650766 व टोल फ्री नं. 1095

पुलिस कमिश्नरेंट जोधपुर, यातायात शाखा द्वारा जनहित में प्रसारित

विनम्र आग्रह

- हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें।
- कभी भी शराब के नशे में वाहन न चलाये।
- वाहन को गलत जगह पार्किंग नहीं करें।
- रात्रि में खड़े/पार्क किये वाहन की पार्किंग लाईट अवश्य जलायें।
- क्षमता से अधिक सवारियां व सामान नहीं भरे तथा न ही वाहन की छत पर किसी को बैठने दे।
- वाहन चलाते समय मोबाईल से बात न करें।
- रौंग साईड में वाहन नहीं चलायें।
- अपने वाहन की नियमित पी.यु.सी. चैक करावें तथा शहर को प्रदुषण मुक्त रखें।
- पार्किंग हेतु सड़क के किनारे बनी सफेद पट्टी की पालन करें।
- कभी न पहुंचने से देरी से पहुंचना अच्छा है।
- तेज गति रोमांचित करती है मगर जान लेवा भी हो सकती है।
- सावधानी दुर्घटना को बचाती है।
- हेलमेट आपकी सुरक्षा है कोई बौझ नहीं।
- हमेशा याद रखें—आपका और दूसरे का जीवन अमूल्य है इसे दुर्घटना की भेंट न चढायें।
- ट्रेक्टर ट्राली पर रिफ्लेक्टर अवश्य लगावें।
- ओवरटेकिंग करते समय पूरी सावधानी बरतें।
- चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
- कृपया लापरवाही एवं तेज गति से वाहन न चलायें तथा न ही चलाने दें।
- बिना लाईसेंस वाहन नहीं चलायें और न ही चलाने दें।
- वाहनों को मोड़ते समय इण्डीकेटर या इशारों का प्रयोग करें।
- टैंकर चालक पानी के टैंकरों के ढक्कन पूर्णतया बन्द रखें एवं वाल्व का प्रयोग करें तथा टंकी के पीछे रिफ्लेक्टर अवश्य लगावें।

फोन: 0291-2650729, 2650766 व टोल फ्री नं. 1095